



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० -103/2019(2019/00167)

अनवान : -

1. विनोद पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सरोज पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा वादी
श्री रामकिशन गोदारा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 17/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 11 एएमएस मु०न० 24 किला न० 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25, मु० न० 27 के किला न० 4 ता 8 कुल किता 13 की 3.289 हैक्टेयर नहरी 3.064 हैक्टेयर रास्ता 0.075 है०, खाला 0.150 है० में प्रतिवादी भूपसिंह के 0.695 हैक्टेयर, चक 11 जेजीडब्ल्यू के मु० न० 1 किला न० 5 ता 7, 13 ता 19, मु० न० 2 के किला न० 1 ता 15, 18 ता 20, मु० न० 3 के किला नम्बर 1, 2/1, 2/2, 3 ता 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10 ता 12, 13/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 18/2, मु० न० 4 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19, 20 कुल किता 60 की 12.600 हैक्टेयर बाराणी 12.473 है० रास्ता 0.127 है० में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा तथा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु० न० 137 के किला न० 21 ता 25, मु० न० 138 के किला न० 16 ता 19, 21, 22/1, 22/2, 23 ता 25 कुल किता 15 की 3.226 हैक्टेयर नहरी 3.100 है० रास्ता 0.126 है० में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा अमरचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। अमरचन्द के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी भूपसिंह को कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भूपसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि

JTV

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भूपसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह को वादी के दादा अमरचन्द से विरासतन प्राप्त हुई है। चक 11 एएमएस सम्वत 2058-61 के खाता संख्या 2/2, चक 11 जेजीडब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत 2059 खाता संख्या 5 एवं चक 4 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2016 खाता संख्या 15 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 कविता वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।


उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 3 कविता वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज रोही मौजा चक 11 एएमएस मु0न0 24 किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25, मु0 न0 27 के किला न0 4 ता 8 कुल किता 13 की 3.289 हैक्टेयर नहरी 3.064 हैक्टेयर रास्ता 0.075 है0, खाला 0.150 है0 में प्रतिवादी भूपसिंह के नाम 0.695 हैक्टेयर, चक 11 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 1 किला न0 5 ता 7, 13 ता 19, मु0 न0 2 के किला न0 1 ता 15, 18 ता 20, मु0 न0 3 के किला नम्बर 1, 2/1, 2/2, 3 ता 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10 ता 12, 13/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 18/2, मु0 न0 4 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19, 20 कुल किता 60 की 12.600 हैक्टेयर बारानी 12.473 है0 रास्ता 0.127 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा तथा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 137 के किला न0 21 ता 25, मु0 न0 138 के किला न0 16 ता 19, 21, 22/1, 22/2, 23 ता 25 कुल किता 15 की 3.226 हैक्टेयर नहरी 3.100 है0 रास्ता 0.126 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी विनोद पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में सरपंच ग्राम पंचायत निनाण का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1,




उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जमाबंदी चक 11 एएमएस सम्वत 2074-77 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 11 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2071-74 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 4 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2074-77 प्रदर्श 4, जमाबन्दी खतौनी चक 11 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2059 खाता संख्या 5 प्रदर्श 5, जमाबन्दी खतौनी चक 11 एएमएस सम्वत 2058-61 खाता संख्या 2/2 प्रदर्श 6, जमाबन्दी खतौनी चक 11 एएमएस सम्वत 2028-2038 खाता संख्या 3 प्रदर्श 7, जमाबन्दी खतौनी चक 11 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2029-38 खाता संख्या 4 प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया तथा प्रतिवादी भूपसिंह ने चक 11 एएमएस के खाता संख्या 49/2 के मुरब्बा न0 24, 27 की कुल किता 13 की 3.289 है0 संयुक्त खाते की दर्ज भूमि में प्रतिवादी ने 0.127 हैक्टेयर भूमि बैय की हुई है तथा वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि उक्त चक में से उक्त भूमि कम करते हुए मुताबिक राजीनामा डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 11 एएमएस मु0न0 24 किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25, मु0 न0 27 के किला न0 4 ता 8 कुल किता 13 की 3.289 हैक्टेयर नहरी 3.064 हैक्टेयर रास्ता 0.075 है0, खाला 0.150 है0 में प्रतिवादी भूपसिंह के नाम 0.695 हैक्टेयर, चक 11 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 1 किला न0 5 ता 7, 13 ता 19, मु0 न0 2 के किला न0 1 ता 15, 18 ता 20, मु0 न0 3 के किला नम्बर 1, 2/1, 2/2, 3 ता 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10 ता 12, 13/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 18/2, मु0 न0 4 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19, 20 कुल किता 60 की 12.600 हैक्टेयर बारानी 12.473 है0 रास्ता 0.127 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा तथा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 137 के किला न0 21 ता 25, मु0 न0 138 के किला न0 16 ता 19, 21, 22/1, 22/2, 23 ता 25 कुल किता 15 की 3.226 हैक्टेयर नहरी 3.100 है0 रास्ता 0.126 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एएमएस मु0न0 24 किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25, मु0 न0 27 के किला न0 4 ता 8 कुल किता 13 की 3.289 हैक्टेयर नहरी 3.064 हैक्टेयर रास्ता 0.075 है0, खाला 0.150 है0 में प्रतिवादी भूपसिंह के नाम 0.695 हैक्टेयर, चक 11 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 1 किला न0 5 ता 7, 13 ता 19, मु0 न0 2 के किला न0 1 ता 15, 18 ता 20, मु0 न0 3 के किला नम्बर 1, 2/1, 2/2, 3 ता 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10 ता 12, 13/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 18/2, मु0 न0 4 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12,



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

19, 20 कुल किता 60 की 12.600 हैक्टेयर बारानी 12.473 है0 रास्ता 0.127 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा तथा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 137 के किला न0 21 ता 25, मु0 न0 138 के किला न0 16 ता 19, 21, 22/1, 22/2, 23 ता 25 कुल किता 15 की 3.226 हैक्टेयर नहरी 3.100 है0 रास्ता 0.126 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(जयसिंह चौधरी)

उपखण्ड न्यायालय (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मादरा जिला हनुमानगढ़